का॰ज्ञा॰सं॰ 13035/3/88-रा॰भा॰ (ग), दिनांक 5.4.1989

विषय: केंद्रीय सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए न्यूनतम हिंदी पदों के मानक पुन: निर्धारित करना।

केंद्रीय सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की दृष्टि से 6 अगस्त, 1973 के अ॰शा॰पत्र सं॰ई॰-11015/17/73-रा॰भा॰ (एकक) द्वारा हिंदी के न्यूनतम पदों के सृजन संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए गए थे। 27 अप्रैल, 1981 के इस विभाग के का॰ज्ञा॰ सं॰ 13035/3/80-रा॰भा॰ (ग) द्वारा इन मार्गदर्शी सिद्धांतों को पुन: परिचालित करते हुए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया था कि अपने तथा अपने संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में केंद्रीय सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध पदों की समीक्षा कर ली जाए और जहां न्यूनतम पद उपलब्ध न हों वहां तत्काल उनके सृजन के लिए कार्रवाई की जाए। हिंदी के न्यूनतम पदों के मानकों पर पुन: विचार किया गया है ताकि राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए अपेक्षित न्यूनतम पदों के मानकों को और अधिक युक्तिसंगत बनाया जा सके जिससे कि अनावश्यक पदों की रचना न की जाए पर साथ ही राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और आवश्यक पदों का सृजन भी आसानी से किया जा सके। इन मामले पर विचार करने के लिए सचिव, राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था जिसमें वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) सांख्यिकी विभाग, रक्षा मंत्रालय, डाक विभाग, रेल मंत्रालय तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। इस समिति की सिफारिशों पर विचार के बाद वित्त मंत्रालय की सहमति से अब यह निर्णय लिया गया है कि राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए पदों की न्यूनतम संख्या के बारे में इस विभाग के 27 अप्रैल, 1981 के कार्यालय ज्ञापन के अधिक्रमण में निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांत लागू किए जाए:-

(I) मंत्रालयों/विभागों के लिए:

(1) प्रत्येक मंत्रालय तथा स्वतंत्र विभाग में, जिसका पूर्णकालिक सचिव हो, एक सहायक निदेशक (राजभाषा)

(2) प्रत्येक ऐसे मंत्रालय या विभाग में जहां 100 या 100 से अधिक अनुसचिवीय कर्मचारी हैं, या जिसके अंतर्गत 4 या 4 से अधिक संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय या उपक्रम ऐसे हैं जिसमें हर एक में 100 या 100 से अधिक अनुसचिवीय कर्मचारी हैं, एक वरिष्ठ हिंदी अधिकारी अर्थात्, उप-निदेशक (राजभाषा) राजभाषा विभाग के दिनांक 13.4.1987 के का॰ज्ञा॰सं॰ 13017/1/81-रा॰भा॰ (ग) में निर्धारित नार्मस को ध्यान में रखते हुए यह पद सहायक निदेशक के पद के बदले या उसके अतिरिक्त हो सकता है। मंत्रालय/विभाग में कार्य के स्वरूप और कार्य की मात्रा के आधार पर निदेशक का पद बनाया जा सकता है।

(3) 50 से कम अनुसचिवीय कर्मचारियों पर एक अनुवादक 50 से 100 अनुसचिवीय कर्मचारियों पर 2 अनुवादक, 101 से 150 अनुसचिवीय कर्मचारियों पर 3 अनुवादक, 151 या इससे अधिक अनुसचिवीय कर्मचारी होने पर 3 कनिष्ठ अनुवादक तथा एक वरिष्ठ अनुवादक।

(II) संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के लिए:

(1) 100 या 100 से अधिक अनुसचिवीय कर्मचारियों वाले प्रत्येक संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय में एक हिंदी अधिकरी (सहायक निदेशक, राजभाषा)।

(2) (क) 'क' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए (रक्षा सेनाओं और अर्ध सैनिक बलों के कार्यालयों को छोड़कर)

25 से 125 अनुसचिवीय कर्मचारियों वाले कार्यालय में एक कनिष्ठ अनुवादक, 126 से अधिक अनुसचिवीय कर्मचारयों के लिए दो-कनिष्ठ अनुवादक।

(ख) ''ख'' तथा ''ग'' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए

(1) 25 से 75 तक अनुसचिवीय कर्मचारियों वाले कार्यालय में एक कनिष्ठ अनुवादक।

76 से 125 अनुसचिवीय कर्मचारियों वाले कार्यालयों के लिए दो कनिष्ठ अनुवादक।

126 से 175 अनुसचिवीय कर्मचारियों वाले कार्यालय के लिए तीन कनिष्ठ अनुवादक।

175 से अधिक अनुसचिवीय कर्मचारियों वाले कार्यालय के लिए तीन कनिष्ठ अनुवादक तथा एक वरिष्ठ अनुवादक।

(2) रक्षा सेनाओं और अर्ध सैनिक बलों के ''क'' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों पर भी, जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित होते रहते है, यही मानक लागू होंगे।

(3) ''ख'' व ''ग'' क्षेत्र में स्थित केंद्रीय सरकार के ऐसे सभी कार्यालयों में जहां कम से कम 25 अनुसचिवीय कर्मचारी हों, एक हिंदी टाइपिस्ट का पद दिया जाए। ''क'' क्षेत्र में नए खोले जाने वाले कार्यालयों में भी यदि ''क'' क्षेत्र में स्थित रक्षा सेनाओं और अर्ध सैनिक बलों के कार्यालयों, जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित होते रहते हैं, में भी वही मानक लागू होंगे।

3. पैरा 2 में प्रयोग किए गए ''अनुसचिवीय कर्मचारियों'' शब्दों के अंतर्गत वे सभी कर्मचारी तथा अधिकारी शामिल हैं जिनके पद अनुसचिवीय कार्यों के लिए सृजित किए गए हैं चाहे वे तकनीकी या वैज्ञानिक कर्मचारी या अधिकारी हों। इसके अतिरिक्त यदि तकनीकी और वैज्ञानिक पद इस तरह से काम के लिए स्वीकृत हों परन्तु पदधारियों को अनुसचिवीय कार्य भी सौंपा गया हो तो आंतरिक कार्य अध्ययन एकक द्वारा इस तरह के कर्मचारियों के कार्य के स्वरूप की पड़ताल करने के बाद उन्हे हिंदी पदों के सजृन के लिए गिना जा सकता है।

4. इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में हिंदी पदों की जो संख्या निर्धारित की गई है वह न्यूनतम है ताकि इनकी व्यवस्था बिना कार्य अध्ययन के केवल कार्यालय के कर्मचारियों की संख्या और कार्यालय किस क्षेत्र में स्थित है, के आधार पर की जाए ताकि राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल असर न पड़े। काम की मात्रा और स्वरूप को ध्यान में रखते हुए किसी भी कार्यालय में इससे अधिक पदों का यदि औचित्य हो तो उनका सृजन कार्य अध्ययन के आधार पर किया जा सकता है।

5. कार्य अध्ययन करते समय उसी कार्य को ही ध्यान में न लिया जाए जो इस समय किया जा रहा है बल्कि वे कार्य की सारी मदें हिसाब में ली जाएं जो राजभाषा अधिनियम, नियम, वार्षिक कार्यक्रम आदि की अपेक्षाओं के अनुसार हिंदी में या हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किए जाने जरूरी हैं। कहना न होगा कि कार्य अध्ययन कार्यभार की मात्रा का अध्ययनपूर्वक मूल्यांकन करके ही किया जाना चाहिए न कि तदर्थ आधार पर।

6. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपरलिखित 27 अप्रैल, 1981 के कार्यालय ज्ञापन के आधार पर जिन कार्यालयों में अनुवादक आदि के पद पहले से सृजित किए जा चुके हैं उन्हे इस आधार पर समाप्त नहीं किया जाएगा कि संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित संख्या से वे अधिक हैं। तथापि, कोई भी अतिरिक्त मांग मंत्रालय/विभाग तथा उसके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय में समग्र रूप से कोई फालतू पाए जाएं तो उनके समायोजित की जाएं।

7. अनुवाद के अलावा अन्य कई प्रकार का कार्य ऐसा है जो राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, जैसे आदेशों का परिचालन करना, प्रगति रिपोर्ट बनाना, हिंदी सलाहकार समिति, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की कार्यसूची व कार्यवृत तैयार करना, कर्मचारियों को हिंदी सीखने के लिए नामित करना, कार्यशालाओं का आयोजन करना, आदि। हिंदी अनुवादकों के पदों का आंकलन करते समय इन मदों के कार्यभार को हिसाब में नहीं लिया जाना चाहिए। यह कार्य लिपिक कर्मचारियों द्वारा किया जाना चाहिए जिसकी व्यवस्था कार्यभार/वर्तमान मानकों के आधार पर की जाए तथा जहां पहले से ही यह काम अनुवादक कर रहे हैं और इस आधार पर उनकें पदों में कमी आती हो तो वे इस काम को करते रहेंगे। जहां कहीं इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में निर्धारित पदों की न्यूनतम संख्या के आधार पर स्वीकृत कर्मचारियों के पास पूरा काम न हो वहां भी वे इस प्रकार के कार्य करते रहेंगे।

8. केंद्रीय सरकार के प्रशिक्षण संस्थानों में हिंदी के माध्यम से प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण सामग्री का अनुवाद करने के लिए अनुवाद कार्य की मात्रा के आधार पर आवश्यक पदों का सृजन किया जाना चाहिए और इसके लिए न्यूनतम पदों को कोई मानदंड बनाने की आवश्यकता नहीं है।

9. राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित पदों के सजृन के संबंध में इस कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित मानक और राजभाषा विभाग के दिनांक 13 अप्रैल, 1987 के का॰ज्ञा॰सं॰ 13017/1/81-रा॰भा॰ (ग) में पहले से निर्धारित अनुवाद संबंधी कार्यभार के मानक मार्गदर्शी सिद्धांत होंगे।

10. पांच वर्ष बाद इन मानकों का पुनरीक्षण किया जाएगा।